FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

डेवलीडेवी D/o C. नाम ..... बनाम [illegible] ..... नाम

केस मुकदमा [illegible] ..... प्रकरण सं. 109/25 ..... सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाकर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/2/25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित नहीं। न्यायालय द्वारा किसी भी मसले विषिवद आवाजे दिलवाई जाने के उपरान्त भी ना तो निगरानकार व ना ही उनके विधिक प्रतिनिधि अधिवक्ता उपस्थित हुये। अतः पत्रावली अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 CPC खारीज की जाती है। पत्रावली मिसल शुमार होकर नस्थ के कम हो जाकर दाखिल दफ्तर है। निजेय लो ईमलाफ सुनाया गया।	

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा